उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद
कार्यालय–म0सं0–01, लेन नं0–06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून–248121
फोन सं0 0135–2533830, 2726330, 2666330 uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पंत्राक:–र–20/उ0परा0चि0प0/061/2018/ 13345 दिनांक 26 सितम्बर, 2020

सेवा मे,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हैल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी,
ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में परा–चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद, विनियम–2014 की धारा 17, (6), (आठ) एवं उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–186/XXVIII(2)/2018–13(पैरा0)/2016, दिनांक–17.03.2018 के क्रम में फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हैल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार नामक संस्थान को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी थी। तद्क्रम में उक्त संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद कार्यालय में मान्यता प्राप्त करने हेतु दिनांक–22.08.2020 को निम्नलिखित परा चिकित्साकीय पाठ्यक्रमों के संचालन (शैक्षिक सत्र 2020–21) हेतु आवेदन किया है–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	मान्यता प्राप्त कुल सीटों की संख्या
01.	फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हैल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0 बी0एम0आर0आई0टी0 बी0पी0टी0	20 25 20

2– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत संस्थान का भौतिक निरीक्षण करने की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आपके द्वारा संस्थान के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज, फोटोग्राफ, विडियोग्राफी और शपथ पत्र के आधार पर उक्त संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु उक्त परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,